289 1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में घरेलू कौशल विकास संवर्धन कार्यक्रम - उद्योग पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 168वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

उद्योग पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 168वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

सिफारिश सं. 17(3)

समिति सशर्त यह नोट करती है कि शॉप फ्लोर स्तर की तकनीकों के कौशल को बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था। समिति इसको लोक उद्यम विभागों में समग्र मानव विकास की दिशा में एक अविकसित दृष्टिकोण मानती है।

सिफारिश सं. 17(4)

अतः समिति यह सिफारिश करती है कि लोक उद्यम विभाग के द्वारा शॉप फ्लोर स्तरीय तकनीकी कार्यकर्ताओं के लिए अभिमुखीकरण एवं कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजना करना चाहिए क्योंकि वे नई सामग्री प्रबंध और उत्पादन तकनीकों के अंतिम प्रयोक्ता हैं। शॉप फ्लोर स्तर पर दक्षता अन्ततः कंपनी के नैगमिक निष्पादन में प्रतिबिम्बित होती है। समिति यह सिफारिश करती है कि केंद्रीय लोक उद्यमों को सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

2. देश के अग्रणी प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से कार्यकारी विकास कार्यक्रमों का आयोजन करके मध्य और वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रयासों को लोक उद्यम विभाग सामान्य तौर पर पूरा करता है। शॉप फ्लोर स्तरीय तकनीकी कार्यकर्ताओं का कौशल विकास एक उद्यम विशिष्ट कार्यकलाप है तथा संबंधित प्रबंधन के द्वारा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। यही स्थिति सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंध के बारे में है।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उद्योग से संबंधित विभाग की संसदीय स्थायी समिति की उपर्युक्त सिफारिशों पर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जानकारी में लाएं। यह भी अनुरोध है कि अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में माननीय समिति को अवगत कराने के लिए इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस विभाग को सूचित किया जाए।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2(29)/2005–जीएम–जीएल–69, दिनांक 26 अगस्त, 2005)

******